

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 38/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. बसन्तीदेवी पत्नि मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. घीसानाथ आत्मज रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरनाथ आत्मज रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रतननाथ आत्मज मीदुनाथ जोगी निवासी मियाला हाल निवास रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मु० मथरा पत्नि लादुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भंवरनाथ आत्मज गिरधारीनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 29.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बागड में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 735/68 रकबा 0.66 हे०, आराजी संख्या 739/78 रकबा 0.27 हे०, कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 हे० भूमि खाता संख्या 110 में स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 तक मय नकशा ट्रेस प्रस्तुत है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने घास आदि काटने, में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धि विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीया को उक्त अराजात कि पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थीया कि उक्त अराजात के चारों तरफ के पडोसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने हेतु कहा लेकिन हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने बाबत दिनांक 21.12.2016 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 15.03.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 3 एवं 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध प्रार्थीया के अधिवक्ता कोई कारवाई नहीं चाहते हैं वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की

आराजी संख्या 735/68 रकबा 0.66 हे०, आराजी संख्या 739/78 रकबा 0.27 हे०, कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 हे० भूमि खाता संख्या 110 मे स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 220/- अक्षरे दौ सौ बिस रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 220/- अक्षरे दौ सौ बिस रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा